

प्रेस- नोटथाना रौनापारदुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तारपूर्व की घटना-

दिनांक 13.01.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि विपक्षी सुनील यादव पुत्र श्रीराम यादव सा0 देवारा खास राजा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हाल मुकाम मसुरियापुर जिला आजमगढ़ ने वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया जब वादिनी ने शादी की बात कही तो गाली गुप्ता देते हुये मारने पीटने लगा और जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/2024 धारा 376,323,504,506 भा.द.वि. बनाम सुनील यादव पुत्र श्रीराम यादव सा0 देवारा खास राजा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हाल मुकाम मसुरियापुर जिला आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक- 20.02.2024 को उ0नि0 अखिलेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र श्रीराम यादव साकिन देवारा खास राजा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हालमुकाम मसुरियापुर थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को हाजीपुर तिराहे से समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 26/2024 धारा 376,323,504,506 भा.द.वि. थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्तगिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सुनील यादव पुत्र श्रीराम यादव साकिन देवारा खास राजा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हालमुकाम मसुरियापुर थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अखिलेश सिंह, का0 विकास यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना- सरायमीरअवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तारगिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 20/02/24 को उ0नि0 अभिषेक सिंह हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान शेरवा नहर पुलिया से एक व्यक्ति दिल मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद ग्राम शेरवा पुरवाँ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को एक तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस के साथ समय करीब 15.21 को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-दिल मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद ग्राम शेरवा पुरवाँ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

1-एक तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस ,एक मोबाइल ओप्पो सेट बरंग काला बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-81/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्तगिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0श्री अभिषेक सिंह, का0 विक्रम यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज

लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 19.02.2024 को वादी मुकदमा रामकेश यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी ग्रा0 कुसरना पो0 कोईलारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वाहन RJ 05 CC xxxx कार FRONX सुजकी के चालक रोहित सिंह S/O राजवीर सिंह पता R1 H2 SECTOR 27 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर ने तेज व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए वादी के पिता लालचन्द यादव को टक्कर मार दिया जिससे वादी के पिता लालचन्द यादव की मौके पर ही मृत्यु हो गयी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/24 धारा 279/304ए भादवि0 बनाम रोहित सिंह S/O राजवीर सिंह पता R1 H2 SECTOR 27 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 19.02.2024 को उप-निरीक्षक मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र राजवीर सिंह पता H2 SECTOR 27 पुलिस स्टेशन सेक्टर 19 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर हाल पता ग्राम कादीपुर थाना कादीपुर जिला सुल्तानपुर उ0प्र0 उम्र करीब 32 वर्ष को साईं ढाबा पेट्रोल पम्प कस्बा जहानागंज से समय करीब 20.35 बजे मौके पर दुर्घटना कारित की हुई वाहन के साथ गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1-रोहित सिंह पुत्र राजवीर सिंह पता H2 SECTOR 27 पुलिस स्टेशन सेक्टर 19 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर हाल पता ग्राम कादीपुर थाना कादीपुर जिला सुल्तानपुर उ0प्र0 उम्र करीब 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0 66/24 धारा 279/304ए भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़।

बरामदगी- कार FRONX सुजकी वाहन ।

आपराधिक इतिहास— मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-उप-निरीक्षक मदन कुमार गुप्ता, का0 सुधीर गोस्वामी, पीआरडी विमल मिश्रा थाना जहानागंज आजमगढ़।